

✦ यूरोप में धर्मसुधार आंदोलन - (भाग-2)

चर्च एवं पोप को सशक्त एवं प्रभावशाली चुनौती जर्मनी के 'मार्टिन लूथर' द्वारा मिली। लूथर का जन्म 10 नवम्बर 1483 को जर्मनी के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। इरफर्ट विश्व-विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के बाद पिता की इच्छा पर कानून का अध्ययन प्रारम्भ किया। किंतु कानून के स्थान पर धर्मशास्त्र का अध्ययन शुरू कर दिया। इसी बीच लूथर 'विटेनबर्ग विश्वविद्यालय' में धर्मशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त हुआ जहाँ व्यापक अध्ययन का मौका मिला। 1511 में इन्होंने रोम की यात्रा की जहाँ पोप के नैतिक पतन को देखकर उसे निराशा हुई।

मार्टिन लूथर ने 'क्षमा-पत्रों' के विक्री के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। 1517 में सेंट पीटर गिरजाघर के निर्माण कार्य हेतु क्षमा पत्र बेचकर धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से पोप का एक प्रतिनिधि 'टेटनेल' विटेनबर्ग पहुँचा। लूथर ने इस कार्य की निंदा की तथा 31 Oct. 1517 ई. के दिन विटेनबर्ग के कैथल गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर अपना प्रसिद्ध 'द नाइन्टी फाईव थीसिस एगेन्स्ट दि एन्थूज ऑफ इनडलजेंसेस' लिखा। क्षमा पत्रों की विक्री के विरुद्ध बनाये गये 95 कारणों में जस्तुतः चर्च द्वारा धन जमा करने के प्रायः सभी संभव मुद्दे तरीकों की आलोचना निहित थी। लूथर का स्पष्ट तौर पर कहना था कि पोप का क्षमा-पत्र किसी भी हालत में मनुष्य को ईश्वरीय कोप से नहीं बचा सकता। पापों का फल उसे मृत्यु के बाद भोगना ही पड़ेगा। लूथर ने 1519 में लिपजिग में एक खुले वाद-विवाद में मनुष्य एवं ईश्वर के बीच पोप की सहायता को निरर्थक बताया। लूथर ने तीन लघु पुस्तकें (पैम्फलेट) प्रकाशित किये जिनमें अपने मूलभूत सिद्धांतों का समावेश किया जो अगले चलकर 'प्रोटेस्टेंटवाद' कहलाया। एन एंड्रैस वुड नेबिलइटि ऑफ द जर्मन नेशंस में इन्होंने चर्च की अपार सम्पत्ति का वर्णन किया तथा जर्मन शासकों को विदेशी प्रभाव से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च में इन्होंने पोप और उसकी अवस्था पर प्रहार किया। द फ्रीडम



ऑफ क्रिश्चियन मैन. में अपने मुक्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया।

मार्टिन लूथर ने ईसा एवं बाइबिल की सत्ता स्वीकार की लेकिन पोप एवं चर्च की दिव्यता एवं निरंकुशता को नकार दिया। चर्च द्वारा निर्धारित कर्मों के स्थान पर आस्था एवं विश्वास को मुक्ति का मार्ग बतलाया। सत्र सत्रहवें में ले अपने तीन संस्कार - नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद को ही स्वीकार किया। लूथर ने चर्च के धर्मकारों में अविश्वास व्यक्त किया तथा व्याप्त वादग्रस्तताओं को नकार दिया। रोमन चर्च के प्रभुत्व का अंत करके राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को मजबूत बनाने पर बल प्रदान किया तथा चर्च को अस्थायी से मुक्त रखने के लिए अपने पादरियों के विवाह की वकालत की।

आगामी कुछ वर्षों में समस्त मध्य एवं उत्तरी जर्मनी में लूथर के विचारों एवं शिक्षाओं का अभूतपूर्व प्रसार हुआ। लूथरवादी शिक्षाओं ने जर्मनी के देशजनों को भी अत्यधिक प्रभावित किया। सिलानों ने लूथर के समर्थन में विद्रोह किये। लूथर के समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। इस प्रकार धर्म के प्रश्न को लेकर जर्मनी राज्य दो दलों में विभक्त हो गया। लूथर के समर्थक 'प्रोटेस्टेंट' कहलाये तथा इसके विरोधी 'कैथोलिक'। इन दोनों के बीच 1555 ई. में 'आम्सबर्ग समझौता' के माध्यम से धार्मिक मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की गयी। इस संधि के तहत प्रत्येक राजा को अपना तथा अपनी प्रजा का धर्म चुनने की स्वतंत्रता दी गयी, अविभक्त क्षेत्र में चर्चों की जायदाद को 'प्रोटेस्टेंटों' का मान लिया गया, कैथोलिक क्षेत्र में बसनेवाले लूथरवादियों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया जायेगा, आदि जैसी बातें सम्मिलित थी। कुल मिलाकर लूथर की यह महान विजय थी। इस समझौते से प्रोटेस्टेंट को कानूनी मान्यता मिली। जर्मनी के अधिकांश राज्यों में लूथर का सुधारवादी धर्म राज्यधर्म बन गया। इस प्रकार धर्मसुधार आंदोलन का वास्तविक जनक माना लूथर ही था जिसने पोप एवं चर्च की व्यवस्था में व्याप्त कुराहियों के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाई। इसके ये विचार न केवल



जर्मनी बल्कि यूरोप के अन्य देशों में गुंजे। 'फिथर' ने लूथर के सार्वभूमि में कहा है - "मार्टिन लूथर को दुनिया में इतिहासी स्थान इसीलिए नहीं मिला कि वह मौलिक था बल्कि इसीलिए मिला कि वह सच्चा प्रतिनिधि था।"

लूथरवाद के समान ही यूरोप के दूसरे भागों में धर्मसुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इनमें स्विट्जरलैंड का जिंक्ली (Zwingli) तथा फ्रांस का काल्विन (Calvin) प्रमुख हैं। जिंक्ली ने उपवास का विशेष क्रिया तथा ईसाई पादरियों के ब्रह्मचर्य को गलत बताया। उसने मानव जीवन की सार्वभूमि एवं नैतिकता पर अधिक जोर दिया। उसका कथना था कि पवित्र धर्म की स्थापना तभी हो सकती है जब लोग बाइबिल के अनुसार आचरण करें। इस प्रकार इसने लूथर से भी अधिक जोर बाइबिल की सार्वभूमि सत्ता पर दिया। 1531 में जिंक्ली की इत्मा कर दी गयी।

जिंक्ली के मृत्यु के पश्चात् काल्विन ने विचारों का प्रचार-प्रसार किया। काल्विन का जन्म 1509 में फ्रांस में हुआ। पेरिस विश्वविद्यालय से इसने धर्म एवं सार्वभूमि का गहरा अध्ययन किया। लूथर के विचारों का पढ़कर उसने चौबीस साल की उम्र में प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया। फ्रांस में कैथोलिक चर्च एवं फ्रांस की सरकार का कोपनाजन बनने से पहले वह फ्रांस छोड़कर स्विट्जरलैंड चला गया। 1536 में उसने The Institute of Christian Religion नामक पुस्तक लिखी जिसमें उसने प्रोटेस्टेंट धर्म की विशिष्ट व्याख्या की।

काल्विन के सिद्धांत का आधार - 'ईश्वर की इच्छा की सार्वभूमि है।' 'ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है, इसीलिए मनुष्य की मुक्ति न कर्म से हो सकती है और न ही आस्था से। वह केवल ईश्वर के अनुग्रह से ही हो सकती है। मनुष्य के पैदा होते ही यह तय हो जाता है कि उसका उधार होगा या नहीं। इसे ही 'पूर्व निमित्त का सिद्धांत' (Doctrine of Predestination) कहा गया। उसका कथना था कि व्यक्ति का ईश्वर से सौंधे संबंध हो सकता है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। उसने सरकारों का महत्व दाय दिया एवं व्यक्ति के पवित्र आचरण के साथ-साथ नैतिक अनुशासन



पर ज्यादा बल दिया। अपने विचारों के कारण ही वह 'प्रोटेस्टेंट पोप' के रूप में जाना गया। काल्विन का मत काल्विनवाद या सैब्ड जनवाद (प्रिक्वेरिनिज्म) कहलाया। इसके विचारों का सामर्थ्य व्यापारी एवं मध्यम वर्गों के ज्यादा था क्योंकि इनके सुद लेने का उचित बतलाया था। काल्विनवाद का फ्रांस तथा स्कॉटलैंड में विशेष सफलता मिली।

इंग्लैंड में धर्मसुधार आंदोलन का विकास एंग्लिकन विचारधारा में देखने को मिलता है जिसमें हेनरी अठवम तथा उसका उत्तराधिकारी एडवर्ड VI (1547-53) का नाम प्रमुख है। हेनरी अठवम ने व्यक्तिगत कारणों से सराफ के Act of Supremacy पारित करा लिया। इस ऐक्ट ने हेनरी को इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया। अब पोप इंग्लिश चर्च का प्रधान न रहा। एडवर्ड VI के काल में आंग्लचर्च प्रोटेस्टेंट बन गया।

धर्मसुधार आंदोलनों ने कैथोलिक मतवालों को भी अपने चर्च में सुधार के लिए प्रेरित किया। वह काल जिसमें चर्च के अधिकारियों ने प्राचीन कैथोलिक धर्म का सुधार करना चाहा और चर्च की खोई हुई शक्ति वापस लाने का प्रयास किया 'प्रतिधर्म सुधार आंदोलन' का काल कहा जाता है। 1545 के ट्रेंट की काउंसिल में अनेक निर्णय लिए गये। चर्च के पदों की बिक्री समाप्त कर दी गई। पादरियों के जीवन का सरल एवं अनुशासित बनाने का प्रयास किया गया। जनसाधारण में उपदेश देना शुरू की गई।

इस प्रकार करीब 150 वर्षों तक यूरोप धार्मिक युद्धों में अलगा रहता रहा। वेस्टफालिया की संधि के पश्चात् वातावरण कुछ बदला एवं नये परिवेश को स्वीकारा जा सका। धर्मसुधारकों की कोशिश थी कि उनके विचार जनता तक पहुँचे इसके यूरोप में बौद्धिक जागृति आई। इनके जनसाधारण को साधारण भाषा का स्वरूप आसकर पूर्ण न होकर सरल हो गया। व्यक्ति पर धर्म का प्रभाव घटने से व्यक्ति को महत्व मिला। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। धर्म प्रोटेस्टेंट राज्य में राष्ट्रीय चर्च बना। इंग्लैंड में राजा की शक्ति को संकुचित करने हेतु संसद को नीकिया करना पड़ा। संसद ने लोबेची पाबंदी को समाप्त न अर्थव्यवस्था को मजबूत किया।